न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 396/2025

श्री आत्माराम शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा, राशन डीलर उचित मूल्य दुकान, वार्ड सं0 10, 11 नवीन वार्ड वार्ड सं0 39, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, प्रर्वतन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.10.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रसद कार्यालय, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 12.06.2025 को जारी नवसृजित दुकानों के आंवटन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जो कि खाद्य विभाग की नीतियों की अनदेखी कर जारी किया गया है। इसके संबंध मे निम्न प्रकार बिन्दुवार निवेदन श्रीमान्जी की सेवामे प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश दिनांक 25. 08.20245 के दिये गये निर्देशों की पालना के कम मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी चिडावा ब्लॉक के नगर पालिका क्षेत्र मे वार्ड संख्या 10 व 11 जो कि नगर पालिका चिडावा अनुसार नवीन वार्ड संख्या 39 है की दुकान संचालित करता है। प्रार्थी आत्माराम श्रीराम शर्मा की दुकान के एनएफएसए राशन कार्ड की कुल संख्या 428 व कुल यूनिट 1691 है। माननीय उच्च न्यायालय से बडी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खाद्य विभाग द्वारा जारी की गई नीति से स्पष्ट रूप से उल्लधंन कर जारी की गई है। खाद्य नागरिक आपर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र कमांक एफ 17/खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 मे यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के या यूनिटों के आई संख्या 200 होनी चाहिए। पत्र कमांक एफ (17)(1)खा0वि0/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुसार विभाग द्वारा पूर्व मे पत्र कमांक एफ (74)(7)/खा0वि0/सा0वि0प्र0/87—111 दिनांक 21.07.2009 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों को नये सर्वे के अनुसार 500 राशन कार्ड पर नवीन दुकानों पर सजृन कर रिक्त दुकानों की नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कार्यवाही की जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिटों के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनः निर्धारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जायेगा। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि नवसृजित दुकान वार्ड 39 चिडावा के संबंध मे जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं ने खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा समय—समय पर जारी नीतियों एवं दिशा निर्देशों की घोर उपेक्षा की है। समय—समय पर जारी विभाग की नीतियों व दिशा निर्देशों का विवरण निम्न प्रकार है। एफ (17)(1)खा0वि0/2008 दिनांक 07.04.2010 के पत्र की प्रतिलिपि सलंग्न है। एफ (17)(1)खा0वि0/2008 दिनांक 17.03.2016 के पत्र उचित मूल्य दुकानों के आंवटन हेतु दिशा निर्देश की प्रतिलिपि सलंग्न है। एफ (17)(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 के पत्र रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आंवटन की कार्यवाही मे

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

स्पष्टीकरण के संबंध मे प्रतिलिपि सलंग्न है। एफ (17)(9)खा0वि0 / न्याय / 2012–11 दिनांक 27.03.2023 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के समावेशन / मर्जर कार्यवाही के संबंध मे प्रतिलिपि सलंग्न है। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा नवसृजित दुकानों के संबंध मे करवाये गये आंतरिक सर्वे रिपोर्ट दिनांक 28.04.2025 माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु सलंग्न प्रतिलिपि है। जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं से मांगी गई कार्डों की संख्या व यूनिटों की संख्या का ब्यौरा पत्र दिनांक 24.06.2025 भी न्यायालय के अवलोकन हेतु सलंग्न है। माननीय न्यायालय से प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि वर्तमान मे खादय विभाग का गिव–अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्ड मे यूनिटों की और कम होने की संभावना है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि चिडावा मे पहले से संचालित उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित कार्डो की संख्या से कम कार्ड व यूनिट है। ऐसे मे चिडावा मे वार्ड 39 मे नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजित दुकान और खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना एवं अन्यायपूर्ण निर्णय है। खादय विभाग की सभी नीतियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान वार्ड 39 चिडावा मे नही खोले जाने के पक्ष मे है। अतः श्रीमान्जी की सेवामे मे प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि चिडावा वार्ड 39 के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग / रसद / 2025 / 946 दिनांक 17.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 11436 / 2025 आत्माराम शर्मा बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि नगर पालिका क्षेत्र चिडावा मे वर्तमान मे 10 उचित मूल्य दुकान संचालित है। उक्त दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की कुल संख्या 4551 और सूनिट 19253 है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश दिनांक 25.08.20245 के दिये गये निर्देशों की पालना के कम मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी चिडावा ब्लॉक के नगर पालिका क्षेत्र मे वार्ड संख्या 10 व 11 जो कि नगर पालिका चिडावा अनुसार नवीन वार्ड संख्या 39 है की दुकान संचालित करता है। प्रार्थी आत्माराम श्रीराम शर्मा की दुकान के एनएफएसए राशन कार्ड की कुल संख्या 428 व कुल यूनिट 1691 है। माननीय उच्च न्यायालय से बडी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खादय विभाग द्वारा जारी की गई नीति से स्पष्ट रूप से उल्लधंन कर जारी की गई है। खादय नागरिक आपर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र कमांक एफ 17 / खा0वि0 / विधि / 2008 दिनांक 07.04.2010 मे यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के या यूनिटों के आई संख्या 200 होनी चाहिए। पत्र कमांक एफ (17)(1)खा0वि0 / 2008 दिनांक 07.04. 2010 के अनुसार विभाग द्वारा पूर्व मे पत्र कमांक एफ (74)(7) / खा0वि0 / सा0वि0प्र0 / 87–111 दिनांक 21.07.2009 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों को नये सर्वे के अनुसार 500 राशन कार्ड पर नवीन दुकानों पर सजृन कर रिक्त दुकानों की नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कार्यवाही की जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिटों के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनः निर्धारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जायेगा। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि नवसृजित दुकान वार्ड 39 चिडावा के संबंध मे जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं ने खादय नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी नीतियों एवं दिशा निर्देशों की घोर उपेक्षा की है। माननीय न्यायालय से प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि वर्तमान मे खादय विभाग का गिव–अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्ड मे यूनिटों की और कम होने की संभावना है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि चिडावा मे पहले से संचालित उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित कार्डो की संख्या से कम कार्ड व यूनिट है। ऐसे मे चिडावा मे वार्ड 39 मे नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजित दुकान और खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना एवं अन्यायपूर्ण निर्णय है। खादय विभाग की सभी नीतियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

वार्ड 39 चिडावा मे नही खोले जाने के पक्ष मे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि चिडावा वार्ड 39 के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि नगर पालिका क्षेत्र चिडावा की 10 दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 4551 व यूनिट 19253 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नगर पालिका क्षेत्र चिडावा के वार्ड सं0 पुराना 10 व 11 तथा नवीन वार्ड संख्या 39 उचित मूल्य दुकान श्री आत्माराम शर्मा को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं